बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–मु0 अ0–4 (मु0)रा0यो0–03–68/2020 – 2290 /पटना, दिनांक–06/7/202

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः– योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के **पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल के अधीन मधुबन प्रखड के मधुबन गड़हिया पथ के चौथे कि0मी0 पर पुल का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 11.80 मी0 निर्माण हेतु रू0 81.06 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू0 1.62 लाख अर्थात कुल 82.68 लाख रूपये (बेरासी लाख अड़सठ हजार मात्र)** की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना– उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के **पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल के अधीन मधुबन प्रखड के मधुबन गड़हिया पथ के चौथे कि0मी0 पर पुल का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 11.80 मी0 निर्माण हेतु रू0 81.06 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू0 1.62 लाख अर्थात कुल 82.68 लाख रूपये (बेरासी लाख अड़सठ हजार मात्र)** की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2020–21 एव 2021–22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37–4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में **300.00** करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता, द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मोतिहारी एवं मुख्य अभियंता–3 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल यह सुनिश्चित करेगें कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नही है।
8. इस योजना का चयन मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या– मु0 अ0–4 (मु0)नाबार्ड–03–159/2014 के पृ0 सं0–27/टि0 पर दिनांक–12.07.2019 को किया गया है।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0)रा0यो0–03–68/2020 के पृ0 सं0–03/टि0 पर दिनांक–22.06.2020 को प्राप्त है।
10. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।

S.P

3/7/2020

(328)

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–मु0 अ0–4 (मु0)रा0यो0–03–68/2020 के पृष्ठ संख्या–।>।।/टि0 पर दिनांक–1.7.2020. को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगें।
17. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

3/7/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0)रा0यो0–03–68/2020 - 2290 /पटना, दिनांक–06/7/202

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/7/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0)रा0यो0–03–68/2020 - 2290 /पटना, दिनांक–06/7/202

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/7/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0)रा0यो0–03–68/2020 - 2290 /पटना, दिनांक–06/7/202

प्रतिलिपि– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/अभियंता प्रमुख सह–सचिव, BRRDA, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता–3, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु0 अ0–4 (मुख्यालय), ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचदी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम0आई0एस0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम0आई0एस0 में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।

3/7/2020.

अपर सचिव

S.P